



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-365/20 दिनांक 30.12.2020)

दिनांक- 30.12.2020 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

जघन्य हत्या की घटना का दो घन्टे में सफल अनावरण, 02 आरोपी गिरफ्तार-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.12.20 को थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की हत्या कर शव को बोरी में भरकर हरपुर लालाडीह नहर में फेका गया है इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर शव की शिनाख्त करायी गई तो मृतक की शिनाख्त मारकण्डेय साहनी उम्र 19 वर्ष पुत्र रामकृपाल साहनी साकिन हरपुर टोला लालाडीह थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर की हुई। शिनाख्त उपरान्त मृतक के पिता की तहरीर पर थाना नेबुआ नौरंगिया पर मु0अ0सं0 370/20 धारा 302/201 भादवि विरुद्ध अज्ञात के पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में थाना ने0 नौ0 पुलिस टीम द्वारा घटना के पंजीकृत होने के 2 घन्टे के अन्दर ही घटना का सफल अनावरण करते हुए कोटवा बाजार कोहरगड्डी मोड़ के पास से अभियुक्त रामक्यास पुत्र रामनरेश साहनी साकिन कौवासार टोला अमवा थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर व उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर उनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकल्ल बाँकी की बरामदगी में सफलता प्राप्त की गई है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

हत्या का मोटिव-

मृतक मारकण्डेय का सम्बंध उसकी चाची मीना पत्नी मंगरू की भाभी अनिता साहनी जो मृतक की रिस्ते में मामी लगती थी। जिसकी जानकारी उसके मामी के पति रामकयास हो गयी थी। रामकयास परदेश में था दिनांक 28.12.20 को सायं घर आया और घर आकर मृतक की मामी को घर से निकालने लगा। और कहा कि यदि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो उसको अभी बुलाओ और उसको मारो। दोनो योजना कर बगल के गाँव विहारी छपरा में रात्रि करीब 7.00 बजे बुलाये। मारकण्डेय के आने पर अनिता साहनी द्वारा उसे घर छोड़ने के लिए कही जब वह साइकिल पर वैठाकर ले जाने लगा तो अनिता ने उसे पीछे से बाँकी से गर्दन के पास वार कर दिया जिससे वह मौके पर गिर कर छटपटाने लगा इतने में अनिता का पति रामकयास भी मौके पर आ गया और दोनो मिलकर उसी बाँकी से मार कर हत्या कर दिये तथा लाश को बोरी में भरकर नहर में डाल दिये।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामक्यास पुत्र रामनरेश साहनी साकिन कौवासार टोला अमवा थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
2. रामक्यास की पत्नी।

बरामदगी का विवरण

1. घटना में प्रयुक्त आलाकल्ल बाँकी
2. मृतक की खून से सनी अभियुक्त की शर्ट व अभियुक्ता की साडी व अन्य कपड़े।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिंह थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 भगवान सिंह थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 3-हे0का0 मनोज सिंह थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 4-आरक्षी शोएब अख्तर थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 5- आरक्षी राजीव कुमार यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
- 6-महिला आरक्षी पुनम कुमारी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

अवैध शराब बिक्री,परिवहन,निष्कर्षण में की गयी कार्यवाही-(कुल-05)

थाना हनुमानगंज-

थाना हनुमानगंज पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-120/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कसया-

थाना कसया पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्त 1.फेकू साहनी पुत्र स्व0 मंगरू साहनी साकिन भैसहा सदर टोला ताना कसया जनपद कुशीनगर 2.संजय गिरी पुत्र स्व0 रामरूप गिरी निवासी भैसहा सदर टोला थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-906/2020,907/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना तरयासुजान-

थाना तरयासुजान पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त अंकित राय पुत्र दिनेश राय साकिन अहिरौली दुबैली थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 9 ली0 अवैध देशी शराब व 1.875 ली0 अंग्रेजी शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-526/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

थाना खड्डा-

थाना खड्डा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त जबाहिर बिन्द पुत्र सम्हारू बिन्द साकिन महदेवा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-285/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(कुल-01)

थाना कप्तानगंज-

थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त इस्ताक उर्फ दाउद पुत्र शमसेर सा0 सिसवा शुक्ल थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 447/2020 धारा 377 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 13 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-166 वाहन।
2. 107/116 जा0फौ0 में की गयी कार्यवाही-मु0-05, व्यक्ति-14
3. आबकारी अधिनियम में कार्यवाही मु0-5, अभि0-5, बरामदगी- 60 ली0 अवैध कच्ची शराब व 1.875 ली0 अंग्रेजी शराब।
4. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(03)
5. जनपद में कुल गिरफ्तारी –(कुल-21)।

**मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर।**